न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

(13)

न0
/22

तारीख दायरा
05.07.2022

तारीख फैसला
25.1.23

सीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

कन्या बाई पुत्री चन्दा पत्नि देवलाल जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तह0 दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री आबिद खान एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद में वादनी के खाते खाता संख्या नया 313 व पुराना खाता संख्या 69 पर खसरा नम्बर 1537/996 रकबा 1.24 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि में वादनी का नाम रामकन्या दर्ज किया हुआ है। यह कि वादनी का नाम दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम रामकन्या के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम कन्या बाई है। तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम कन्या बाई है जिससे वादनी को सरकारी योजनओं में किसान क्रेडीड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, श्रम कार्ड व बैंक डायरी आदि में कन्या बाई अंकित है। वादनी का नाम ग्राम टाकरवाडा की जमाबंदी में रामकन्या होने से सरकार योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान कडिड कार्य लेने सें वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिए वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारीयों द्वारा ग्राम टाकरवाडा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामकन्या के स्थान पर कन्या बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामकन्या के स्थान पर कन्या बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.05.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद में वादनी के खाते संख्या नया 313 व पुरानपा खाता संख्या 69 पर खसरा नम्बर 1537/996 रकबा 1.24 है0 भूमि के स्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामकन्या के स्थान पर कन्या बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का रामकन्या के स्थान पर कन्या बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद में वादनी के खाते खाता संख्या नया 313 व पुरानपा खाता संख्या 69 पर खसरा नम्बर 1537/996 रकबा 1.24 है0 भूमि में वादनी का नाम रामकन्या के स्थान पर रामकन्या उर्फ कन्या बाई किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

(15)

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

कन्या बाई पुत्री चन्दा पत्नि देवलाल जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तह0 दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री आबिद खान एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती</u>

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादनी स्वीकार किया जाकर ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद में वादनी के खाते खाता संख्या नया 313 व पुरानपा खाता संख्या 69 पर खसरा नम्बर 1537/996 रकबा 1.24 है0 भूमि में वादनी का नाम रामकन्या के स्थान पर रामकन्या उर्फ कन्या बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हस्ताक्षर)
(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)